अपील सूचना अधिकार संख्या 106/2021 (GCMS 2021/162)(आरटीआई अपील नं. 212542818276514) विनोद कुमार पुत्र सोहन लाल, पी.डब्ल्यू.डी. क्वॉटर नं. वी–5, आर.सी.पी. कॉलोनी, वार्ड नं. 02, तहसील अनूगपढ जिला श्रीगंगानगर – 335701 (मोबाईल नं. 94137–89268) <u>बनाम</u> जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>11.02.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विनोद कुमार उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2021 से नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई इसलिए उसने जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह ऑनलाईन अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विनोद कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2021 के द्वारा कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

क्र. सं.	बिल माह व सन	बिल नं एवं दिनांक	टीवी नं. एवं दिनांक	चाही गई सूचना का विवरण
1	March 2019	6/ 03.04.2019	9768/ 02.05.2019	बिल में लगे आक्षेप एवं आक्षेप दूर कब किये गये
2	April 2019	16/ 01.05.2019	11448 /13.05.2019	बिल में लगे आक्षेप एवं आक्षेप दूर कब किये गये
3	July 2019	29 /31.07.2019	43650/ 11.09.2019	बिल में लगे आक्षेप एवं आक्षेप दूर कब किये गये
4	August 2019	42/ 27.08.2019	43644/ 11.09.2019	बिल में लगे आक्षेप एवं बिना आक्षेप दूर किये बिल पास करने का कारण यदि आक्षेप नहीं लगा तो उसका कारण
5	March 2020	[illegible]/ 02.04.2020	1258/ 09.04.2020	बिल में लगे आक्षेप एवं आक्षेप दूर कब किये गये बल में लगे आक्षेप
6	May 2020	21/ 25.05.2020	17297/ 10.06.2020	बिल में लगे आक्षेप एवं आक्षेप दूर कब किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:14 IST
Reason: SelfAttested

661

7	Sept. 2020	57/ 12.10.2020	51864 /14.10.2020	बिल में लगे आक्षेप एवं आक्षेप दूर कब किये गये
8	March 2021	4/ 02.04.2021	6901/ 30.04.2021	बिल में लगे आक्षेप एवं आक्षेप दूर कब किये गये
9	July 2021	30/ 05.08.2021	34992 /26.08.2021	बिल में लगे आक्षेप एवं आक्षेप दूर कब किये गये

कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1112 दिनांक 07.10.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री विनोद कुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील पत्र एवं आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2021 (टोकन नं. 210375918048) के माध्यम से सूचना चाही गई थी। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में उपकोषाधिकारी अनूपगढ के पत्रांक 879 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी श्री विनोद कुमार को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

-sd-
कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 879 दिनांक 29.09.2022 से अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:14 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर